

# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, शिक्षण विभाग बिलासपुर (छ.ग.)

रेल्वे रियायत हेतु आवेदन-पत्र

ते,

अधिष्ठाता,  
छात्र कल्याण,  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

रा : विभागाध्यक्ष .....

षय : यात्रा हेतु रेल्वे रियायत पन्नी उपलब्ध कराने बाबत्।

होदय,

निवेदन है कि मुझे विश्वविद्यालय द्वारा घोषित सेमेस्टर ब्रेक / शैक्षणिक भ्रमण / त्यौहार अवकाश पर मूल निवास / शैक्षणिक थान हेतु विभाग द्वारा निर्देशित स्थान जाने एवं आने के लिए रियायत पन्नी प्रदान करने की कृपा करें। विवरण निम्नानुसार है

छात्र/छात्रा का नाम .....

कक्षा का नाम .....

प्रवेश की तिथि .....

जन्म तिथि ३५ .....

सेमेस्टर ब्रेक / शैक्षणिक भ्रमण / त्यौहार अवकाश दिनांक ..... से ..... तक

मूल निवास स्थान का पूर्ण पता ..... पिन .....

विभाग द्वारा निर्देशित निर्धारित संस्था एवं स्थान का विवरण .....

निकटतम रेल्वे स्टेशन का नाम जहाँ के लिए रियायत पन्नी प्रदान की जानी है .....

मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, यात्रा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दी गई रेल्वे रियायत पन्नी को न तो हस्तान्तरित होलंगा और न ही अन्य प्रयोजन करूंगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

## विभागाध्यक्ष की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा ..... इस विभाग का नियमित विद्यार्थी है, इनके द्वारा दी गई जानकारी की जाँच प्रवेश आवेदन-पत्र से कर ली गई है। इन्हें इस प्रपत्र में सेमेस्टर ब्रेक / शैक्षणिक भ्रमण / त्यौहार अवकाश की अवधि के लिए इन्हे इस प्रपत्र के अनुसार रेल्वे रियायत पन्नी प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

विभागाध्यक्ष (सीलसहित)

टीप :-

- आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित टीप पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
- इस प्रपत्र में उपरोक्तानुसार अवधि विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
- आवेदन प्रस्तुत करने के तीन दिवस के बाद रेल्वे रियायत प्रदान की जावेगी।
- जो आवश्यक ना हो उसे काट दें।